न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

दशरथ साव बनाम् हुलास साव वगै०
विविध वाद संख्या –167/2023
धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3/2/24	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। आवेदक दशरथ साव, पिता– धनु साव साकिन– मनिहारी, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह से प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर विवादित भूमि मौजा– मनिहारी, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 22, प्लॉट न०– 862, रकवा– 49.90 एकड़, चौहद्दी : उ०– परती, द०– प्लॉट न०– 837, पू०– सीमाना मौजा मंझिलाडीह, प०– परती कदीम पर निषेधाज्ञा प्रवृत कर प्रथम पक्ष तथा विपक्षीगण उक्त जमीन पर जाने तथा उस पर कोई कार्य करने से दिनांक 6/12/2023 को नोटिस जारी कर प्रतिबंधित किया गया तथा कारण पृच्छा भी की गई। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विवादित जमीन पर अपने दावे के समर्थन में ऑनलाईन पंजी–II की प्रति तथा तेजो नायक के नाम से दर्ज वंशावली (Geneology) प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कारण पृच्छा के साथ सादा हुकुमनामा तथा लगान रसीद की प्रति प्रस्तुत किए। अंचल अधिकारी के रिपोर्ट में पंजी– II की ऑफलाईन जमाबंदी किसके नाम से है स्पष्ट नहीं है। साथ हीं उभय पक्ष को जमीन किस प्रकार हासिल है यह भी स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम जमाबन्दी को लेकर विवाद कर रहे हैं। स्पष्टतः यह	

मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है अतः द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत इस वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना संभव नहीं है। अंचल अधिकारी, बिरनी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त जमाबन्दी की विधिवत जाँच करते हुए विधिसम्मत कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगें। साथ हीं उभय पक्ष मामले के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र हैं। उक्त आदेश के साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/12/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

3/12/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.09 13:16:57 +05:30
Location: 192.168.1.9